

राजस्थान मंत्रिमंडल के महत्त्वपूर्ण नरिणय

चर्चा में क्यों?

19 जनवरी, 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिये हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान स्टेट एगरो इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बोर्ड के गठन को मंजूरी देने के साथ ही कई महत्त्वपूर्ण नीतगत नरिणय लयि गए।

प्रमुख बदि

- मंत्रिमंडल ने राज्य में कृषि विपणिन तंत्र को मज़बूत कर कसिनों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से राजस्थान स्टेट एगरो इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है। यह बोर्ड कसिनों की आय बढ़ाने के लयि ठोस नीति बनाने एवं इसके प्रभावी करयिान्वयन के संबंध में सुझाव देगा। साथ ही प्रदेश के अधिकाधिक कसिनों को एगरो-प्रोसेसिंग एवं मूल्य संवर्धन से जोड़ने के लयि रूपरेखा तैयार करेगा।
- उल्लेखनीय है कि राज्य में कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण, व्यवसाय एवं नरियात को बढ़ावा देने के लयि राज्य सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि नरियात नीति-2019 लागू की थी। इस नीति के पश्चात् राज्य में उत्पादित कृषि जिनिसों, जैसे- जीरा, धनिया, लहसुन, ईसबगोल, अनार, खजूर, प्याज आदि के नरियात को बढ़ावा देने तथा इनकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान सुनिश्चित करने की दशिा में इस बोर्ड का गठन राज्य सरकार का एक और बड़ा कदम होगा।
- मंत्रिमंडल ने पुरातत्त्व एवं संग्रहालय विभाग के संग्रहाध्यक्ष (क्यूरेटर) के पद की शैक्षणिक योग्यता में संशोधन का नरिणय लयिा है। इस नरिणय से इतिहास के वदियार्थियों के साथ-साथ म्यूजियोलॉजी के अभ्यर्थियों को भी इस पद की प्रतयोगी परीक्षा में बैठने का अवसर मलिगा। इससे संग्रहालयों के प्रबंधन के कार्य को नवीन तकनीक और वैज्ञानिक पद्धति से संपादित कयिा जा सकेगा।
- मंत्रिमंडल ने भू-जल विभाग में कनिष्ठ भू-भौतिकवदि के पद 75 प्रतशित सीधी भरती एवं 25 प्रतशित पदोन्नति से भरने के स्थान पर 50 प्रतशित सीधी भरती एवं 50 प्रतशित पदोन्नति से भरने के लयि राजस्थान भू-जल सेवा नयिम-1969 में संशोधन को मंजूरी दी है। साथ ही, पदोन्नति के लयि न्यूनतम अनुभव दो वर्ष के स्थान पर पाँच वर्ष करने की भी स्वीकृति दी है। इससे विभाग में पदोन्नति के समान अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।
- साथ ही मंत्रिमंडल ने राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नयिम-1965 (यथा संशोधित) के नयिम 19 में संशोधन को स्वीकृति दी है। इससे सहकारिता विभाग में संविदा पर कार्यरत फार्मासिस्टों को भरती में बोनस अंकों का लाभ मलि सकेगा।
- मंत्रिमंडल ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नजिा भागीदारी को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से व्यास वदियापीठ वशिवदियालय, जोधपुर वधियक, 2021 के प्रारूप का अनुमोदन कयिा है। मंत्रिमंडल के अनुमोदन के बाद अब यह वधियक वधानसभा में प्रस्तुत कयिा जाएगा और वधियक के पारति होने से इस वशिवदियालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा।